न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर

पीठासीन अधिकारी	–	**डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस.**
एफआर नं	–	**27/2020**
एफआईआर नं	–	**20/2020**
सी.आई.एस. नम्बर	–	**249/2020**
आरक्षी केंद्र	–	**जालोर**

कैलाश कुमार पुत्र हबताराम, निवासी चवरचा, तहसी आहोर हाल निवासी न्यू रामदेव कॉलोनी, पानी की टंकी के पास, जालोर **...परिवादी**

अंतिम प्रतिवेदन

उपस्थितः–
श्री सुरेन्द्र चौहान, अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

आदेश **दिनांक: 13.06.2026**

01– परिवादी की ओर से पुलिस थाना कोतवाली जालोर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन संख्या 27/2020 के विरुद्ध नाराजगी याचिका दिनांक 12.08.2021 को पेश की गई। जिसका निस्तारण हस्तगत आदेश के जरिए किया जा रहा है।

02– परिवादी ने दिनांक 10.01.2020 को जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी ने दिनांक 04.01.2020 को पुलिस थाना कोतवाली जालोर को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि दिनांक 03.01.2020 को शाम के करीबन 4.30–5.00 बजे वह अपने ननिहाल खड़ा था, तब आकाश पुत्र पुसाराम व संजयकुमार राव उर्फ सतीया पुत्र गोपाराम, निवासी न्यू रामदेव कॉलोनी आए और कहा कि तेरे से काम है और आकाश ने कहा कि तू कमरे में चल तो उसने मना किया और कहा कि जो काम है, वह बता तो उसने कहा कि उसके साथ काम करना है (कुकर्म) करना है तो उसने उसे मना किया और उसे डांटा तो वह आवेश में आ गया और उसे रोककर उसके साथ मारपीट करने लगे तथा उसने मारे–मारे का हाका किया तो ओमप्रकाश पुत्र वचनारामजी मेघवाल व राह चलते मनीषकुमार पुत्र रूपाराम, निवासी जालोर व अन्य लोगों ने बीचबचाव कर छुड़ाया। उससे पहले (घटना के पूर्व) ओमप्रकाश के कमरे पे ओमप्रकाश व आकाश बैठे थे और वह काम हेतू ओमप्रकाश से मिलने गया और वापस अपने घर आ गया, उस दरम्यान आकाश ने ओमप्रकाश से उसके मोबाईल नंबर लिए और आकाश ने उसे दोपहर 3.02 बजे पर आकाश ने मिल्कोल किया था और फिर बाद में वापस आकाश 3.04 बजे पर कॉल किया था। बात हुई तो आकाश ने कहा कि तेरे साथ सेक्स (काम करना है) करना है, फिर कहा कि उसे कहने में शर्म आ रही है और आकाश ने उसे फोन पर घर आने को भी कहा था तो वह घर नहीं गया तो आकाश व संज्य राव दोनों शाम को 4.00–

Authenticated Document

5.00 बजे उसके ननीहाल आए और आकाश ने उसे जबरदस्ती कमरे में आने को कहा तथा आकाश ने कहा कि उसके साथ गलत काम (कुकर्म) कर, उसने मना किया तो दोनों ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट की। आकाश व संजय ने उसे लातों व मुक्कों से उसके पेट में, सीने व शरीर में मारपीट की तथा मारपीट से उसके शरीर में अन्दरूणी व बाहरी चोटे आई है.....इत्यादि।

03– जिस पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली जालोर द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू झुठ में इस आधार पर पेश किया किः–

> "मुकदमा हाजा के सम्पूर्ण अनुसंधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि प्राथी कैलाश कमार अपने ननिहाल न्यू रामदेव कालोनी में रहता है। ओमप्रकाश उसके रिश्ते मे मामा का लड़का है। आकाश व सतीश उर्फ संजय दोनों आपस मे दोस्त हैं। सतीश उर्फ संजय डांसर है, जो डांस का प्रोग्राम करता हैं। उसने आकाश से कहा की उसको कैलाश मे दोस्ती करनी है, तो आकाश ने अपने सहपाठी ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश को यह बात बोली तब ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश को यह बात कैलाश को बताई तब ओमप्रकाश को मिस्काल किया, तो कैलाश कुमार ने वापस आकाश को फोन किया और दोनों ने पानी की टंकी वाली गली में मिलना तय किया, फिर वहां आपस में मिले तब आकाश व सतीश ने बताया कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते है एवं सतीश आपस में एकेल में मिलना चाहता है। सतीश डांसर है एव आपके साथ मस्ती करना चाहता है। उक्त बात पर कैलाश को गुस्सा आया कि वह ऐसा नहीं है। सतीस व आकाश के साथ झगड़ा किया। उक्त घटनाक्रम का पूर्व तथाकथित आरोपी आकाश ने प्रार्थी कैलाश कुमार के विरुद्ध थाना हाजा पर मुकदमा सख्या 04 दिनाक 3.1.2020 धारा 341, 323, 327/34 भादस में दर्ज करवाया, तब उक्त प्रकरण में अपने बचाव करने एव तथाकथित आरोपी आकाश व सतीश पर दबाव बनाने के लिए झूठा मामला दर्ज करवाना पाया गया। प्रार्थी के कहीं कोई चोट नहीं लगी हुई पायी गयी। प्रार्थी कैलाशकुमार द्वारा तथाकथित आरोपी आकाश व सतीश्र के खिलाफ झूठी रिपोर्ट पेश करना पाया गया एव पड़ोसियान में अनुसन्धान पर भी ज्ञात हुआ कि तथाकथित आरोपी सतीश जो एक डांसर है एव लड़कों के साथ दोस्ती करना एवं मौज मस्ती करने का आदी हैं। इस बात से नाराज होकर प्रार्थी कैलाशकुमार द्वारा ही तथाकथित अप्रार्थीयों के साथ झगड़ा किया। अनुसंधान के दौरान मामला अदम वकू झूठ पाया गया।"

04– उक्त अंतिम प्रतिवेदन से क्षुब्ध होकर परिवादी ने नाराजगी याचिका पेश कर रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की व मुख्य रूप से कथन किया कि मुलजिम आकाश का भाई राज कुमार जो कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय जालोर में कर्मचारी होने से पुलिस थाना कोतवाली जालोर द्वारा परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया जबकि परिवादी के विरूद्ध झुठी रिपोर्ट देने पर परिवादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि परिवादी व मुलजिम आकाश के बीच हुई बातचीत के मोबाईल की कॉल की स्क्रीनशोर्ट व मोबाईल में हुई बातचीत की सी.डी. बनाकर पेश की गई। फिर भी अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिमानों से मिलावट कर व राज कुमार के दबाव में आकर परिवादी के द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमे को झुठा मानकर न्यायालय में एफ.आर. पेश कर दी। परिवादी के गवाहानों के बयान उनके कहेनुसार नहीं लिखकर व परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों व साक्ष्यों

को नहीं मानकर अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिमानों को भरपुर सहयोग किया है। जबकि परिवादी के बयान व इस प्रोटेस्ट पीटीशन के साथ प्रस्तुत साक्ष्य मुलजिमानों के विरूद्ध पुख्ता शाहदत साबित हैं। परिवादी के गवाह मनीष कुमार, ओमप्रकाश के पुलिस बयान 161 सीआरपीसी में गवाहानों के बयान उनके कहेनुसार नहीं लिखकर पुलिस द्वारा परिवादी के मुकदमें को झुठा माना है। उक्त प्रोटेस्ट पीटीशन के द्वारा परिवादी व उनके गवाहानों के बयान न्यायालय में करवाने का आदेश फरमावें ताकि परिवादी न्याय से महरूम नहीं हो सके। अतः न्यायालय से निवेदन है कि परिवादी की प्रोटेस्ट पिटिशन स्वीकार कर मुलजिम आकाश कुमार व सजय कुमार उर्फ सतीया के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाने का आदेश दिये जाने व परिवादी व उनके गवाहानों के बयान दर्ज किये जाने का निवेदन किया। परिवादी ने नाराजगी याचिका के समर्थन में स्वयं के बयान सीडब्ल्यु–1 के रूप में तथा ओमप्रकाश के बयान सीडब्ल्यु –2 के रूप में लेखबद्ध करवाए।

"**गवाह सीडब्ल्यु–1 कैलाश कुमार** ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 03.01.2020 को शाम को 4.30–5 बजे वह न्यू रामदेव कॉलोनी, जालोर खड़ा था, तब आकाश पुत्र फुसाराम, निवासी जालोर व संजय कुमार पुत्र सतीया, निवासी जालोर आये और कहा कि उसके साथ कमरे में चल, तब उसने मना किया और कहा जो भी काम है वो बताओं, तो आकाश ने कहा कि मुझे तेरे साथ गलत काम करना है, तो उसने मना किया और उसे डांटा तो उसने आवेश में आकर उसके साथ मारपीट करने लगा, जिससे उसके अन्दुरुनी चोटों आई। वह चिल्लाया तो ओमप्रकाश पुत्र वचनाराम, मनीष कुमार पत्र रूपाराम व झालाराम पुत्र मंछाराम गर्ग ने बीचबचाव कर छुड़वाया। घटना से पहले ओमप्रकाश के कमरे में ओमप्रकाश व आकाश बैठे थे, तब वह कुछ काम के लिए उनके पास गया, फिर वह अपने घर आ गया, फिर ओमप्रकाश ने आकाश से उसके मोबाईल नम्बर लिये। फिर आकाश ने उसे मोबाईल पर 3.02 मिनट पर दोपहर में मिस कॉल किया। फिर आकाश ने 3.04 मिनट पर कॉल किया। फिर उनकी बात हुई और कहा कि तु मेरे घर पर आ तो आकाश ने उसके साथ गलत काम करने को कहा तो उसने मना कर दिया। तब आकाश व संजय राव दोनों शाम को 4.30–5 बजे उसके ननिहाल पर आये। आकाश ने उसे जबरदस्ती कमरे में आने को कहा और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने का बोला। उसने मना किया तो उन्होंने उसे रोक कर उसके साथ थापो मुक्को से मारपीट की। मारपीट से उसके पेट, पीठ व मुंह पर चोटें आई थी। इस घटना की रिपोर्ट उसने दिनांक 04.01.2020 को दी थी। फिर कोई कार्यवाही नहीं होने पर दिनांक 10.01.2020 को एसपी साहब को रिपोर्ट दी थी। उक्त रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि आकाश का भाई राज कुमार पुलिस में एसपी कार्यालय में कार्यरत होने से कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब वह इस मुकदमें में कार्यवाही करना चाहता है।

गवाह सीडब्ल्यु–2 ओमप्रकाश ने शपथ पर कथन किया कि वह आकाश को जानता है, आकाश मेरा दोस्त था। कैलाश उसका भुआ का लडका है। वक्त बयान से करीबन 6 साल पहले 4–4.30 बजे के बीच कैलाश व आकाश के बीच कहा सुनी हुई थी, जो न्यू रामदेव कॉलोनी में हुई थी। आकाश कुमार व संजय उर्फ सत्या ने कैलाश के साथ मारपीट की। आकाश कुमार कैलाश को बोल रहा था की तु रूम में चल, तेरे साथ कुछ करना है। कुछ करने से मतलब कुकर्म का बोला था। कैलाश ने मना किया तो उन दोनों ने कैलाश के साथ

मारपीट की। उसके सामने आकाश ने कैलाश को यह बात बोली थी कि उसे तेरे साथ गलत काम करना है। उस समय उसके साथ मनीष भी था। आकाश व कैलाश पहले से एक दुसरे को नहीं जानते थे। कैलाश वहां से मोटरसाइकिल लेकर बाहर जाने लगा, तो फिर से उसे रोककर आकाश व संजय उर्फ सत्या ने मारपीट की। मारपीट से कैलाश के पैट, सीने व सिर पर चोट आई थी। आकाश व कैलाश का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी बार मारपीट की, तब उसने, मनीष और आस पास के लोगों ने बीचबचाव किया था।

05– पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपराध के लिए प्रसंज्ञान लिए जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय: नुपूर तलवार बनाम सी.बी.आई. (2012)2 एससीसी 188 में यह मत प्रतिपादित किया है कि:–

> "The Magistrate is required to exercise sound judicial discretion and apply his mind to the facts and materials before him. In doing so the Magistrate is not bound by the opinion of the investigating officer and he is competent to exercise his discretion irrespective of the views expressed by the police in its report and may prima facie find out whether an offence has been made out or not. The taking of cognizance means the point in time when a court or a magistrate takes judicial notice of an offence with a view to initiating proceedings in respect of such offence which appears to have been committed. At the sate of taking of cognizance of offence, the court has only to see whether prima facie there are reasons for issuing the process and whether the ingredients of the offence are there on record."

इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा M/S Pepsi Foods Ltd. & Anr vs Special Judicial Magistrate & Ors. (1998) 5 SCC 749 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि:–

> Summoning of an accused in a criminal case is a serious matter. Criminal law cannot be set into motion as a matter of course. is not that the complainant has to bring only two witnesses to support his allegations in the complaint to have the criminal law set into motion. The order of the magistrate summoning the accused must reflect that he has applied his mind to the facts of the case and the law applicable thereto. He has to examine the nature of allegations made in the complaint and the evidence both oral and documentary in support thereof and

Authenticated Document

would that be sufficient for the complainant to succeed in bringing charge home to the accused. it is not that the magistrate is a silent spectator at the time of recording of preliminary evidence before summoning of the accused. Magistrate has to carefully scrutinise the evidence brought on record and may even himself put questions to the complainant and his witnesses to elicit answers to find out the truthfulness of the allegations or otherwise and then examine if any offence is prima facie committed by all or any of the accused.

इसके साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सुमन देवी बनाम राजस्थान राज्य (2023 आर.जे.– जे.पी. 39685 निर्णय दिनांक 14 दिसम्बर 2023) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

''As held in the afore–said case, if the result of the investigation is in favour of the accused or a negative final report has been submitted, then it is important for the judicial officer to state with clarity the reasons for disagreement with the conclusion of the investigating agency and in the case at hand, the learned Special Judge has stated his conclusion in lucid terms and has countered and considered reasoning on the basis of which the the investigating officer had submitted a negative report against the accused."

06– उक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का गहनता से अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट होता है कि परिवादी कैलाश कुमार ने एक रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक, जलोर के समक्ष पेश कर मुख्य रूप से कथन किया है कि दिनांक 03.01.2020 की शाम को 04.30–05.00 बजे वह अपने ननिहाल में खड़ा था। तब आकाश व संजय कुमार राव उर्फ सतिया आए और कहा कि तेरे से काम है। आकाश ने कहा कि तू कमरे में चल, तो उसने मना किया और कहा कि जो काम है व बता तो उसने कहा कि तेरे साथ कुकर्म करना है, मना करने पर वह आवेश में आ गया और उसे रोककर उसके साथ मारपीट करने लगा। चिल्लाने पर ओमप्रकाश व राह चलते मनीष कुमार ने बीच–बचाव कर छुड़ाया। इस घटना से पहले ओमप्रकाश के कमरे में ओमप्रकाश व आकाश बैठे थे और वह काम हेतु ओमप्रकाश से मिलने गया और वापस अपने घर आ गया। उस दरम्यान आकाश ने ओमप्रकाश से उसके मोबाइल नंबर लिए और आकाश ने दोपहर 03.02 मिनट पर मिस्कॉल किया और फिर बाद में वापस आकाश ने 03.04 मिनट पर कॉल किया, बात हुई और आकाश ने कहा तेरे साथ काम करना है और फिर उसने जो कहा उसे कहने में शर्म आ रही है। आकाश ने उसे फोन पर घर आने को भी कहा तो वह घर नहीं गया। आकाश और संजय राव दोनों शाम को 04.00–05.00 बजे उसके ननिहाल आए व आकाश ने उसे जबरदस्ती

कमरे में आने को कहा तथा किहा कि वह उसके साथ गलत काम कुकर्म करेगा, मना करने पर दोनों ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके चोटें आई। इसी भांति की साक्ष्य परिवादी कैलाश कुमार सीडब्ल्यु–1 ने न्यायालय के समक्ष पेश की व अपने कथनों के समर्थन में एक अन्य गवाह ओमप्रकाश सीडब्ल्यु–2 को भी परीक्षित करवाया। हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने अपने विस्तृत अनुसंधान में अपने विस्तृत अनुसंधान में अंतिम प्रतिवेदन (अदम वकु झूठ) में पेश किया व पाया कि प्राथी कैलाश कमार अपने ननिहाल में रहता है। ओमप्रकाश उसके रिश्ते मे मामा का लड़का है। आकाश व सतीश उर्फ संजय दोनों आपस मे दोस्त हैं। सतीश उर्फ संजय डांसर है उसने आकाश से कहा की उसको कैलाश मे दोस्ती करनी है, तो आकाश ने ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश को यह बात बोली तब ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश ने यह बात कैलाश को बताई तब ओमप्रकाश को मिस्काल किया, तो कैलाश कुमार ने वापस आकाश को फोन किया और दोनों ने पानी की टंकी वाली गली में मिलना तय किया, फिर वहां आपस में मिले तब आकाश व सतीश ने बताया कि वे दोस्ती करना चाहते है एवं सतीश आपस में एकले में मिलना चाहता है। सतीश डांसर है एव आपके साथ मस्ती करना चाहता है। उक्त बात पर कैलाश को गुस्सा आया और सतीश व आकाश के साथ झगड़ा किया। उक्त घटनाक्रम से पहले प्रार्थी कैलाश कुमार के विरुद्ध मुकदमा सख्या 04 दिनाक 03.01.2020 अंतगर्त धारा 341, 323, 327 सपठित धारा 34 भादस में दर्ज करवाया। प्रार्थी के कहीं कोई चोट नहीं लगी। उक्त अनुसंधान में वर्णित आधारों का परिवादी द्वारा कोई खंडन पेश नहीं किया गया साथ ही इस न्यायालय के विनम्र अभिमत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित किया कि परिवादी पक्ष एक–दो गवाहों के बयान करवाकर आपराधिक अभियांत्रिकी को गति नहीं दे सकता, अपितु उसे अपेन कथनों के समर्थन में प्रथमदृष्टया सटीक साक्ष्य पेश करनी चाहिए, परंतु ऐसी कोई सटीक साक्ष्य हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी ने दंड प्रक्रिया की धारा 161 के तहत जिन गवाहों के बयान लेखबद्ध किए है उनमें मनीष कुमार है, जिसने मुख्य रूप से कथन किया है कि कैलाश ने आकाश व सीतश के साथ लड़ाई–झगड़ा किया था। सतीश कैलाश से दोस्ती करना चाहता था। इसके अलावा उसकी कोई बात नहीं हुई। न्यायालय यहां यह लिखना वांछनीय समझता है कि यदि तथाकथित अप्रार्थीगण द्वारा कैलाश कुमार के साथ मारपीट की जाती तो निःसंदेह चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर उपलब्ध होता, परंतु ऐसा कोई चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यद्यपि कैलाश कुमार ने अपने कथनों के समर्थन में एक अन्य गवाह ओमप्रकाश सीडब्ल्यु–2 को परीक्षित करवाया है, परंतु ओमप्रकाश कैलाश कुमार का रिश्तेदार है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह हितबद्ध गवाह की श्रेणी में भी आता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी ने यह भी पाया है कि प्रार्थी कैलाश कुमार के विरुद्ध प्रकरण के अप्रार्थीगा द्वारा एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण उक्त मुकदमे से बचने के लिए भी कराया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी ने जिन आधारों पर अंतिम प्रतिवेदन पेश किया, उसका कोई खण्डन परिवादी पक्ष द्वारा न्यायालय में पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है, ना ही पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिए जाने का प्रथम दृष्टया

आधार उपलब्ध नहीं है। अतः हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी की ओर से प्रस्तुत नाराजगी याचिका अस्वीकार की जाकर खारिज किए जाने योग्य तथा आरक्षी केंद्र जालोर की ओर प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

07– अतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत नाराजगी याचिका दिनांकित 12.08.2021 अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा आरक्षी केन्द्र जालोर की ओर प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन संख्या 27/2020 स्वीकार किया जाता है। केस डायरी संबंधित थाने को लौटाई जावें। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ . विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जालोर

08– आदेश आज दिनांक 13.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ . विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जालोर

LAXMAN RAM
Authenticated Document
Digitally signed by LAXMAN RAM
Date: 2026.07.13 10:41:45 +0530

Authenticated Document